संख्या-970/2017/2641/22-2-2017-17(430)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 दिसम्बर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाल मुकुन्द पुत्र श्री भगवत प्रसाद दुबे, निवासी जनपद-झांसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35356/प्रोबे0-5-दयायाचिका/889, दिनांक 06.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 06.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाल मुकुन्द पुत्र श्री भगवत प्रसाद दुबे, निवासी ग्राम परसुवा, थाना गुरूसराय, जनपद-झांसी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मुकदमें की रंजिश को लेकर दिनांक 21.09.2007 को 04 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर राइफल व तमंचों से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-153/2009 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307, 302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (डकैती), जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 19.10.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.10.2016 तक 07 वर्ष 03 माह 17 दिन की अपरिहार एवं 07 वर्ष 04 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की उम्र 73 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बाल मुकुन्द (बन्दी संख्या-179/15) पुत्र श्री भगवत प्रसाद दुबे, निवासी-जनपद-झांसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-970/2017/2641/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, उरई।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in